रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257102
CG-DL-E-12092024-257102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3562] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946
No. 3562] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 3895(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1) श्री एच. के. दास, — अध्यक्ष;
प्लाट नं. 829, सेक्टर-8,
गांधीनगर, गुजरात-382007

(2) श्री चन्द्रप्रकाश गोपालदास भागचंदानी, — सदस्य;
एसोसिएट प्रोफेसर,
एल.डी.कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद, गुजरात

(3) उप या संयुक्त या अपर सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2581(अ), तारीख 13 जून, 2023 द्वारा गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मति से होंगे:

परंतु बहुमत द्वारा किए गए विनिश्चय की दशा में उसके लिए या उसके विरुद्ध दृष्टिकोणों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य हितों के टकराव से बचने के लिए-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और मूल्यांकित की जानी है ।

7. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. प्राधिकरण सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. गुजरात राज्य सरकार, किसी विभाग या संगठन को विनिर्दिष्ट करेंगी, जो प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गुजरात राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/4/2023-आई.ए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 3895(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Gujarat (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

1. Shri H. K. Dash, - Chairman;
Plot No. 829, Sector-8,
Gandhinagar, Gujarat-382007

2.	Shri Chandraprakash Gopaldas Bhagchandani, Associate Professor, L.D. College of Engineering, Ahmedabad, Gujarat	-	Member;
3.	Deputy or Joint or Additional Secretary (Environment), Government of Gujarat.	-	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, shall take the decision based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 2581(E) dated 13th June, 2023.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof shall be sent to the Central Government.

6. In order to avoid any conflict of interest, the Chairman and Members of the Authority, shall.-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

7. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The Authority shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the views of the majority shall prevail.

9. The State Government of Gujarat shall specify Department or an organisation which shall act as Secretariat of the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, shall be paid as per the rules of the State Government of Gujarat.

[F. No. IA3-13/04/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA